

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, रॉची।

दिनांक-12.05.2023

सेवा में

चिनमय विद्यालय,
साउथ पार्क एरिया, दिल्लीपुर, जमशेदपुर।

विषय- Chinmaya Vidyalaya (Chinmaya Mission) रकूल, जमशेदपुर का अग्नि-
सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित विद्यालय भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जींच प्रभारी अग्निशमनालय पदाधिकारी, गोलमुरी जमशेदपुर से कराई गई। उनके झापांक-505 दिनांक-10.05.2023 के द्वारा समर्पित जींच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण निर्गत किया जाता है कि :-

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बैकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपासकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वारा में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से घोल्ट किया जायेगा।
7. भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के सुपर्योग एवं जींच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
8. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाए। इस द्वीप में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
9. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पजी में संधारित रखा जाय।
10. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
11. किसी भी इकार व्यक्ति लेशकारी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होगे।
12. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञाप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होगे।
13. आक्रियक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक-11.05.2024 तक के लिये मान्य है।

JAGJEEWAN
RAM

For CHINMAYA VIDYALAYA

Jagjeewan Ram
SECRETARY

Digital signature by JAGJEEWAN RAM
DN: C=IN, O=GOVERNMENT OF JHARKHAND, OU=HOME - AI AND
DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.26=40: 8adff67476136294c403350011134ec2962b68f90e3
e344c35d088115407, postalCode=811402, st=Jharkhand,
serialNumber= 9585870ee67cbaf143b636c60c97a7bc842 d90
Date:2023-05-12 18:51:46 +05'30'

(जगजीवन राम)

अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, रॉची।